

आदेश क्रमांक 23- 23-2001 दिनांक 11.11.2001 दिनांक चण्डीगढ़:- 2-3-2001

कलीराम डी. ड.वी. पब्लिक स्कूल संपीढ़ी

श्री. के.एन. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से जि.ओ.ए. उत्तर की सम्बन्धित लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता कि विद्यार्थी समस्त समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा अधिनियम 1995 के जो कलन करने में प्रयोग को मान्य रहेगा।

विभागीय हिदायतों का पालन न करने पर संपीढ़ी अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

सुमिता मिश्रा सिंह
निदेशक सैकंडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

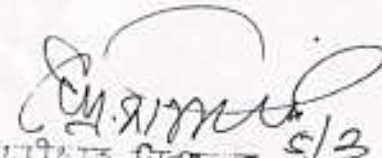
पृष्ठान्त क्रमांक 23 दिनांक चण्डीगढ़:- 5-3-2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

श्री. शिक्षा अधिकारी जि.ओ.ए. को उनके पत्र क्रमांक सा-2-2001/527 के अन्तर्गत।

प्रमाणपत्र / मुद्रा तपक कलीराम डी. ड.वी. पब्लिक स्कूल संपीढ़ी ज.ओ.ए.

तथ्य. के.एन. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार, नई दिल्ली - 110092.


अधीक्षक निदेशक-5/3
स्रोत: निदेशक सैकंडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।